(61)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

रिव्यू प्रकरण क्रमांक: /2017

रिव्यू 110-II-17

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर, म0प्र0

——— आवेदक

बनाम

गजराज सिंह पुत्र अलोल सिंह यादव निवासी ग्राम खानपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर हाल निवासी अशोकनगर

——— अनावेदक

श्री एस. शुक्ला, कार्या० (शास०) द्वारा आज दि. 6-1-17 को प्रा...

6-1-17 ...ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता वास्ते पुर्नविलोकन किये जाने बावत ।

B Shukla (शासकीय अधिवक्ता) 6-1-2017

माननीय महोदय,

आवेदक आपके न्यायालय का प्रकरण क्रमांक निगरानी 788–1/2015 पक्षकार गजराज सिंह यादव विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर में पारित आदेश दि 14–03–16 में मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन निम्न आधारो पर किये जाने हेतु निवेदन है ।

1– यहकि, विषयान्तर्गत प्रकरण में अनावेदक द्वारा कस्वा अशोकनगर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 555 में से रकवा 6 बीघा, खसरा क्रमांक 558 में से रकवा 2 बीघा भूमि खसरा क्रमांक 572 में से रकवा 1 विस्वा भूमि विक्रेता मराठा सेतकी संघ के मैनेजर श्री केशवराव पुत्र श्री सीताराम भोंसले मराठा से 92/– रूपये में से दिनांक 5–11–1955 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब आवेदक का निरन्तर वदस्तूर कब्जा चला आ रहा है । भूमि क्रय करने के पश्चात् आवेदक द्वारा नामान्तरण नहीं कराया गया इसके पीछे सोच यह रही है कि उसने विक्रय पत्र की प्रति पटवारी को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिल– अशोकनगर

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 110–दो/2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-6–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी प्रकरण कमांक 788–एक/2015 में पारित आदेश 14–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक शासकीय पैनल अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। 2/ आवेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने नामांतरण हेतु आवेदन के साथ खसरों की प्रति प्रस्तुत नहीं करने एवं व्यवहार वाद में आवेदक का वाद निरस्त होने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत नामांतरण आवेदन निरस्त किया है। तहसीलदार के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसमें पूर्व पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिनांक 14–3–2016 के द्वारा निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार के अंतिम आदेश को निरस्त किया है। इस प्रकरण में यह दो महत्वपूर्ण तथ्य विचारणीय थे कि– 1. क्या तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रचलन योग्य है? 2. क्या आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर द्वारा नामांतरण प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा न कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई,	

जो विधिक दृष्टि से इस न्यायालय में प्रचलनशील नहीं थी। इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश को निगरानी में बिना किसी आधार के निरस्त कर आवेदक के हित में अधिकारिता रहित नामांतरण के आदेश दिये हैं, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :–

1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण

आवेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुये रिव्यू प्रकरण स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 788–एक/2015 में पारित आदेश 14–3–2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अशोकनगर को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत एवं विधिवत अभिलेख एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य